

रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002
ई मेल:- ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

No RAJ/Rjs/Pb Zn- 01 Vol-III

Date- 4 / 5/ 2018

प्रेषित M/S Hindustan Zinc Ltd,
P.O.- Dariba, Tehsil- Railmagra,
Rajsamand, Rajasthan

विषय: राजस्थान राज्य के Rajsamand जिले में स्थित आपकी Rajpura Dariba Pb Zn Ore खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या 34RAJ27001)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 13.2.2018 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

नियम

उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

11(1) The Mine development have not been carried out in accordance to the review of mining plan (approved on 26/9/2017) to the extent as below.

Particulars	Mine development during 2016-17	
	Proposal in meters	Actual in meters
South Lode (100-180mRL) (Dev. at 100,150,180mRL)	300	291
North Lode L 2 L4 (200-400mRL) (Dev. at 236,254,269, 285, 375, 406mRL)	1015	142
North Lode L 2 L4 (212-285mRL) (Dev. at 236,254,269, 285 mRL)	1650	1664
North Lode L 2 L4 (200-100mRL) (Dev. 180,160,140,120, 100 mRL)	1550	396
North Lode L 2 L4 (70-11mRL) (Dev. at 70, 50,30,11 mRL)	1400	27
East Lode (50-140mRL) (dev. at 140,125,100,75,50 mRL)	1470	508
East Lode (13 to -87mRL) (Dev. At 13,-12,-32,-67,-87 mRL)	1220	1673
East Lode (200 to 300mRL) (Dev. at 200,225,250,275,300 mRL)	775	20
Lower Level (-23 to -119mRL) (-23,-55,-87,-119 mRL)	1500	1240
Lower Level (-157 to -257mRL) (Dev. at -157,-191, -224, -257mRL)	1620	195
Total in Meter	12500	6156

It shows that mine development made is about 49.24 % of the proposed development where as the production achieved was 78.47% against the proposed target of 950000 T during 2016-17.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
 (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

(एच.सी.शर्मा)
 वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
 भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर । (ई-मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
- 3 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
 भारतीय खान ब्यूरो